

(12)

- | | |
|--|-----------|
| (1) Deputy Director of Census Operations or
Under Secretary Office of the Registrar
General, India | —Chairman |
| (2) Assistant Director of Census Operation
(Technical) | —Member |
| (3) A Group 'A' officer of another Central
Government Office | —Member |

**Group 'C' Departmental Promotion Committee (for the respective
Offices of the Director of Census Operations for confirmation)
consisting of :—**

- | | |
|--|-----------|
| (1) Joint Director of Census Operations or
Deputy Director of Census Operations | —Chairman |
| (2) Assistant Director of Census Operations
or Assistant Director of Census Operations
(Technical) | —Member |
| (3) A Group 'A' officer of another Central
Government Office | —Member |

[F. No. A-51011/2/2011-Ad. V]

SURENDER KUMAR, Dy. Director of Census Operations

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2011

सा. का. नि. 328.—राष्ट्रपति, सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में अभिलेख सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2006 का अधिक्रमण करते हुए, अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय में अभिलेख सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, अभिलेख सहायक समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2011 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या; उसका वर्गीकरण और उसका पे बैंड तथा ग्रेड पे या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के कालम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

